



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

PM/VI/211-12/

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road
HYDERABAD

Sir,

Sub:

Forwarding of Revision of Freedom Fighters Pension/family pension, &
Medical Allowance of Rajasthan state government wef 01-04-2011-reg.

Ref:1. Lrno. 1 (1) Genl. Admn./6/2008. Dt. 07-04-2011 of Director,
pensions/pensioners welfare Department, Rajasthan, Jaipur.

I am to enclose herewith a Resolution issued by the Government of Orissa, finance department in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). I am to request you to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action to minimise hardship to the pensioners of the state concerned.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer.

Copy to:
The Joint Director
Pension Payment Officer
Nampally
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer.



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

PM/VI/211-12/

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road
HYDERABAD

Sir,

Sub:

Forwarding of Revision of Freedom Fighters Pension/family pension, &
Medical Allowance of Rajasthan state government wef 01-04-2011-reg.

Ref:1. Lrno. 4 (4) Genl. Admn./6/2008. Dt. 07-04-2011 of Director,
pensions/pensioners welfare Department, Rajasthan, Jaipur.

I am to enclose herewith a Resolution issued by the Government of Orissa, finance department in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). I am to request you to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action to minimise hardship to the pensioners of the state concerned.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer.

Copy to:
The Joint Director
Pension Payment Officer
Nampally
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer.

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।

रजिस्टर्ड

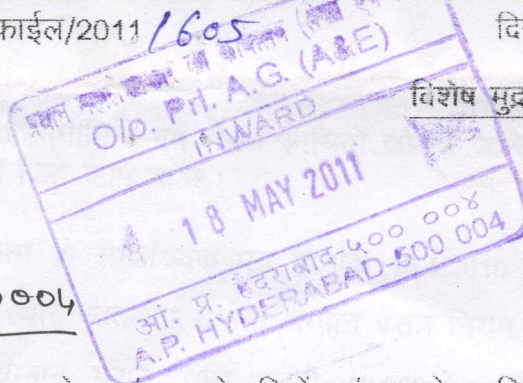
क्रमांक:-पेंशन प्राधि./स्टेट/एफ.एफ/गार्ड फाईल/2011/1605

दिनांक:-19.5.11

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अंतर्गत

महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी) आंध्र प्रदेश
सेनाबाद, हैदराबाद-500004



के.एल.बैरवा

विषय:- दिनांक 1/4/2011 से स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने एवं चिकित्सा भत्ते की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक प. 4 (4) साप्र/6/2008 दिनांक 7/4/2011 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन दिनांक 1/4/2011 से वर्तमान में मिल रही रु. 10,000 (चिकित्सा भत्ता सहित) से वृद्धि कर रु. 15,000/- प्रतिमाह किये जाने तथा चिकित्सा भत्ता रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से राशि अलग से दिये जाने की स्वीकृति दी है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

के.एल.बैरवा

(के.एल.बैरवा)

लेखाधिकारी/पी.ए

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प0 4(4)साप्र/6/2008
निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक 7.4.11

विषय:— स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.4.2010 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रुपये 10,000/- (चिकित्सा भत्ता सहित) को निदेशानुसार दिनांक 1.4.2011 से बढ़ाकर रुपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप में 1,000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से राशि अलग से दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई. डी. क्रमांक 161100295 दिनांक 30.3.2011 पर दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव 11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2/बजट डिवाजन) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट प्रावधान की कार्यवाही कराने हेतु (नोट शीट 117-119/एन तक संलग्न)।
10. नोडल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वेबसाइट, को वेबसाइट पर डलवाने बाबत।
11. अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव 11

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प0 4(4)साप्र/6/2008
निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक 7.4.11

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.4.2010 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रुपये 10,000/- (चिकित्सा भत्ता सहित) को निदेशानुसार दिनांक 1.4.2011 से बढ़ाकर रुपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप में 1,000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से राशि अलग से दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई. डी. क्रमांक 161100295 दिनांक 30.3.2011 पर दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव 11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2/बजट डिवाजन) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट प्रावधान की कार्यवाही कराने हेतु (नोट शीट 117-119/एन तक संलग्न)।
10. नोडल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वेबसाइट, को वेबसाइट पर डलवाने बाबत।
11. अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव 11

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प0 4(4)साप्र/6/2008
निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक 7.4.11

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.4.2010 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रुपये 10,000/- (चिकित्सा भत्ता सहित) को निदेशानुसार दिनांक 1.4.2011 से बढ़ाकर रुपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप में 1,000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से राशि अलग से दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई. डी. क्रमांक 161100295 दिनांक 30.3.2011 पर दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव 11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2/बजट डिवीजन) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट प्रावधान की कार्यवाही कराने हेतु (नोट शीट 117-119/एन तक संलग्न)।
10. नॉडल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वेबसाइट, को वेबसाइट पर डलवाने बाबत।
11. अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव 11